संख्या-14/4040/71-2-14-एस-21/2014

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2014**

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में संस्थान के अंतर्गत न्यू आवासीय परिसर में निर्माणाधीन जूनियर रेजीडेण्ट हॉस्टल 86 सीटेड में फर्नीचर/फर्नीशिंग, किचिन उपकरण, एल0ई0डी0, वाटर कूलर एवं स्पोर्टस सामग्री की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2433/रिम्सएण्डआर/2014-15 दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में संस्थान के अंतर्गत न्यू आवासीय परिसर में निर्माणाधीन जूनियर रेजीडेण्ट हॉस्टल 86 सीटेड में फर्नीचर/फर्नीशिंग, किचिन उपकरण, एल0ई0डी0, वाटर कूलर एवं स्पोर्ट सामग्री की स्थापना हेतु रू0 01,03,85,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 01,03,85,000/- (रूपया एक करोड़ तीन लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजना के लिए नहीं किया जायेगा अर्थात व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।
3. फर्नीचर का क्रय मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।
4. वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-7-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/संस्थान की होगी।
6. संस्थान द्वारा फर्नीचर क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-12457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-14/4040(1)/71-2-14-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4 ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।